

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक सी-284 / बा0वि0परि0 / योजना / 2017-18, दिनांक : 31 मई, 2017


समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: लाभार्थियों के सर्वे / सत्यापन के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या-979/60-2-17-2/1(38)/17 दिनांक 02 मई, 2017 के द्वारा आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑगनवाड़ी केन्द्रवार लाभार्थी- 0-06 वर्ष आयु तक के बच्चों, किशोरी बालिकाएं एवं गर्भवती / धात्री महिलाओं के सर्वे / सत्यापन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।


सर्वे / सत्यापन की सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 05 जून, 2017 तक निदेशालय के योजना अनुभाग की ई-मेल आई0डी0 yojanaicds@gmail.com पर तथा हस्ताक्षरित हार्ड कापी microsoft excel sheet पर CD सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि किसी जनपद से निर्धारित समय तक सर्वे / सत्यापन की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसका प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा।


(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक।

प्रतिलिपि:- सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।


(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।